



सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक 09.09.2025

- ❖ थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा बालिका का अपहरण करने की घटना कारित करने वाले 01 नफर नामजद अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।
- ❖ थाना रसूलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 370/2025 धारा 87/61(2)/137(2)/318(4) भारतीय न्याय संहिता 2023 में वांछित था अभियुक्त ।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 02.09.2025 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना रसूलाबाद पर मु0अ0सं0 370/2025 धारा 137(2)/61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 बनाम 1. मेहराज खान पुत्र रहमान खान, 2. सरताज खान पुत्र रहमान खान निवासी गण ग्राम रायपुर, थाना रनियाँ, जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में प्राप्त तथ्यों/साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 87/318(4) भारतीय न्याय संहिता 2023 की बढोत्तरी कर, थाना रसूलाबाद पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त मेहराज आलम पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम रायपुर, थाना रनिया, जनपद कानपुर देहात को दिनांक 08.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर मिन्डाकुआ से लगभग 300 मीटर आगे रूरा रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मेहराज आलम पुत्र अब्दुल रहमान, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी ग्राम रायपुर, थाना रनिया, जनपद कानपुर देहात ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना रसूलाबाद पुलिस ।